माध्यमिक शाला में अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता का विश्लेषणात्मक अध्ययन

श्रीमती अंजूबाला सिंह
व्याख्याता डाईट भोपाल

सारांश –

समाज में सामान्य बालकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी बालक पाये जाते हैं जो गर्भ में भ्रूण की पूर्ण रूप से देखभाल न होने के कारण, जन्म के पश्चात् पूर्ण पौष्टिक आहार न मिलने के कारण या किसी दुर्घटना होने के कारण दिव्यांगता का शिकार हो जाते हैं। दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अन्तर्गत दिव्यांगजन में 21 तरह की दिव्यांगतायें वाले व्यक्ति को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सबके लिए शिक्षा अर्थात् शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की बात की है। 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता के शिकार व्यक्ति को दिव्यांग की श्रेणी में रखा गया है। दिव्यांग बच्चों को ऐसी शिक्षा उपलब्ध करायी जाये ताकि उन्हें कुसमायोजित होने से बचाया जा सके। शिक्षा के द्वारा ही दिव्यांग बच्चों को सही निर्देश दिया जा सकता है जिससे ऐसे विद्यार्थी शैक्षिक, सामाजिक, व्यवसायिक, भावनात्मका जीवन में सुसमायोजित हो सके। वर्तमान शोध अध्ययन भोपाल जिले की माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र/छात्राओं की समायोजन क्षमता का विश्लेषणात्मक अध्ययन हेतु किया गया है। जिसमें 50 दिव्यांग छात्र एवं 50 दिव्यांग छात्राओं को उद्धेशीयन्यादर्शनपद्धतिद्वारा चयनित किया गया है जो कि भोपाल जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की शासकीय शालाओं में समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत अध्ययनरत हैं। समायोजन क्षमता के मापन हेतु समायेाजन क्षमता परीक्षण मानकीकृत द्वारा ए.के.पी. सिन्हा व डॉ. आर.पी. सिंह का उपयोग किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं टी–परीक्षण सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है। परिणामों में दिव्यांग छात्र एवं छात्राओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर पाया गया।

कुंजी शब्द – दिव्यांग, माध्यमिक शाला, समायोजन क्षमता

प्रस्तावना

दिव्यांगजन भी अंग हमारे, अवसर का उपहार चाहिए,।

मिले इन्हें अधिकार समान, दया नहीं सम्मान चाहिए।

किसी भी देश में, समाज में सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों के वर्ग के अतिरिक्त एक वर्ग दिव्यांग बच्चों का भी है। भारत में दिव्यांग की समस्या न सिर्फ अधिक है बल्कि लगातार बढ़ती भी जा रही है। जनसंख्या वर्ष 2011 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत में दिव्यांगों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 के 2.19 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011 में 2.68 करोड़ हो गयी है। दिव्यांगों की जनसंख्या में बढोत्तरी होने के साथ शिक्षा शास्त्रियों के मानसपटल पर दिव्यांग के शिक्षण अधिगम की जटिल समस्या भी बनी हुई है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय, गरिमा एवं शिक्षा सुनिश्चत करता है। दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार प्रयास करती रहती है। इन्हें शिक्षित करना उच्च शिक्षा प्रदान करना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्राप्ति हेतु शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग बच्चोंको आरक्षण दिया गया है। पी.डब्ल्यू.डी एक्ट 1995 एवं दिव्यांगजन अधिनियम 2016 लाया गया है जिसके तहत देश विभिन्न सरकारी संस्थानों में सुविधाऐं निर्धारित की गई है। इस प्रकार से दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा एवं पुर्नवास पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। मानव विकास मंत्रालय के समावेशित शिक्षा स्कीम 2003 के

अनुसार दिव्यांग एवं बिना दिव्यांग एक ही विद्यालय और सामुदायिक शैक्षिक स्थानो पर उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाओं के साथ एक साथ सीख रहे हैं। इस पर बल देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार दिव्यांग विद्यार्थियों के भी अधिकार समान है इन्हें भी शिक्षण के सहयोगी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। माध्यमिक शाला से तात्पर्य 9वीं वं 10वीं कक्षाओं से है। माध्यमिक शाला में अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं बालिका पर यह टेस्ट प्रशासित किया गया है। दिव्यांग बालक बालिकाओं को विद्यालय में समाज में उनका समायोजन कैसा है इसको जानना आवश्यक है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में सफल होने के लिए समायोजन आवश्यक है। यह समायोजन हमारे जीवन की आवश्यक प्रतिक्रिया हैं। दैनिक जीवन में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा करता है। दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने हेतु घरेलू, सामाजिक एवं विद्यालयी वातावरण में समायोजन आवश्यक है।

सिंह (1979) ने विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं समायोजन क्षमता का अध्ययन किया। परिणामों में पाया कि उच्च समायोजन वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि भी उच्च थी, एवं इनका विद्यालयी, सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन भी अच्छा पाया गया। मोरिन एवं सहयोगी (2011) ने बालक एवं बालिका के शैक्षिक समायोजन में सार्थक अंतर नहीं पाया। पाल एवं निगम (2000) ने अंध दिव्यांग सामान्य,अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन किया जिसमें पाया कि अनुसूचित जाति के अंधदिव्यांग विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता सामान्य जाति के विद्यार्थियों से उच्च पायी गयी। जबकि अग्रवाल (2002) ने सामान्य जाति के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से उच्च पायी। गुप्ता निलेश (2002) ने शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों की तुलना में अशासकीय स्कूल के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता उच्च पायी गयी। मोहन (2004) ने शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं पाया। गक्खर (2003) ने अपने अध्ययन में परिवार एवं छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की अध्ययन आदत तथा समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। कन्नन (2006) ने शोध अध्ययन में पाया कि बालिकाएं बालकों से अधिक उत्तम समायोजन करती है। पिल्लई एवं सहयोगी (2006) ने अध्ययन में पाया कि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं का विद्यालयी समायोजन सार्थक रूप से उच्च था। मुचाल एवं कुमार (2008) ने अध्ययन में पाया कि विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिप्रेरणा उच्च होती है ते उनका समायोजन क्षमता तथा शैक्षिक उपलब्धि स्तर भी उच्च होता है। देशमुख, के. (1979) शारीरिक दिव्यांग छात्र एवं दिव्यांग छात्राओं में दिव्यांग छात्राओं की समायोजन क्षमता उच्च पायी गयी एवं विद्यालयी समायोजन में भी दोनों में अंतर पाया गया। सिंह हरवंश(2006) ने विद्यालय के सामाजिक भावनात्मक वातावरण का विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि छात्रों में स्वास्थ्य व भावनात्मक समायोजन छात्राओं की तुलना में उच्च होता है। एवं विद्यालयी समायोजन लड़कियों में उच्च पाया गया। अमीनाभावी (1996) ने शारीरिक दिव्यांग तथा सामान्य विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया कि शारीरिक दिव्यांग भावनात्मक एवं सामाजिक रूप से कुसमायोजित होते हैं। प्रधान एवं सोनी (2011) ने किशोरावस्था वाले अंध दिव्यांग बालक–बालिकायों के समायोजन एवं चिंता का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पायागया कि अंधदिव्यांग बालक एवं बालिका की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं होता है। किशोरावस्था एवं जेंडर की अन्तःक्रिया समायोजन क्षमता पर प्रभाव नहीं डालती है। जोयमाल्या परमानिक (2014) ने माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया गया कि शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता में अंतर नहीं होता है। डॉ. पारस जैन (2017)

में समायोजन क्षमता एवं शैक्षणिक उपलब्धि के सहसंबंध का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया गया कि बालिकाओं की समायोजन क्षमता बालकों से उच्च होती है। जादाव दत्ता एवं जे.सी.सोनी (2014) ने असम के अंधदिव्यांग स्कूली बच्चों की समायोजन क्षमता, आकांक्षा स्तर, आत्मप्रत्यय एवं शैक्षणिक उपलब्धि पर अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया गया कि बालक एवं बालिका की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं होता है। रतन कुमार सुथार एवं गोपाल सिंह सेखावत (2018) ने शारीरिक चुनौती युक्त विद्यार्थियों के समायोजन एवं स्वबोध का अध्ययन किया। अध्ययन में निष्कर्ष पाया गया कि शारीरिक रूप से चुनौतीयुक्त बालक–बालिकाओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर होता है।

समायोजन क्षमता का अर्थ एवं परिभाषा :– प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि वह जीवन पर्यन्त अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन यापन करें। वह परिस्थितियों से या पर्यावरण से समायोजन स्थापित कर लेता है तथा वह बाधाओं का निराकरण करने में असफल होता है तो उसमें असमायोजन की उत्पति हो जाती है ।

क्रोवक्रो(1973) के अनुसार

प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताऐं, इच्छाओं को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाये रखता है, समायोजन कहलाता है।

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समायोजन के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक व व्यावहारिक क्रियाऐं आती है। अगर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न उन परिस्थितियों में अपने आप को असमायोजित रखता है तथा अपने व्यवहार में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं करता है तो वह प्राणी वातावरण के साथ असंतुलन की स्थिति बनाता है। व्यक्ति व वातावरण में एकरूपता के अभाव को कुसमायोजन करते हैं। समायोजन के विभिन्न आयाम होते हैं।

अध्ययन की आवश्यकता:–

वर्तमान शोध दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं को न्यादर्श लेकर किया गया है। क्या लिंग भेद के आधार पर समायोजन क्षमता प्रभावित होती है? क्या दिव्यागंता का प्रभाव समायोजन क्षमता पर पड़ता है? ऐसे कई प्रश्न का उत्तर जानना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर जानना एवं आवश्यक है। इस प्रकार के अध्ययनों को वर्तमान में महती आवश्यकता है साथ ही इन अध्ययनों का उपयेाग अध्ययन अध्यापन के कार्यों में भी किया जा सकता है।

समस्या कथन– माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

शोध उद्देश्य– दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता का अध्ययन करना।

परिकल्पनाऐं :–

दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं है।

परिसीमाऐं :–

1. यह शोध अध्ययन भोपाल जिले तक सीमित है।
2. शोध अध्ययन में भोपाल जिले अंतर्गत माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा 9 एवं 10वीं के दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं को उद्देश्यपूर्ण न्यादर्शन पद्धति द्वारा चयनित किया गया है।

शोध प्रविधि :– वर्तमान शोध अध्ययन में दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिका की समायोजन क्षमता मापन हेतु मानकीृत द्वारा ए.के.पी. सिन्हा व डॉ. आर.पी. सिंह का उपयोग किया है। इस मापनी की विश्वसनीयता **ैचसपज भ्ंसि डमजीवक** द्वारा कुल 0.95 पाई गई है । आंकड़ों के विश्लेषणक हेतु प्रमुख सांख्यिकीय विधियों मध्यमान, प्रमाणिक **विचलन, एवं टी–टेस्ट का उपयोग किया गया है।**

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

परिकल्पना क्रं.1
दिव्यांगबालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है ।

तालिका क्रं.1.0

दिव्यांग बालक एव ंदिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमताका टी– मान

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी सारणीमान	परिकलित टी– मान	सार्थकता .05 स्तर
समायोजन क्षमता	दिव्यांग बालक	50	17ण्20	3ण्76	1ण्98	ण्398	सार्थक अन्तर नहीं है ।
	दिव्यांग बालिकाऐं	50	17ण्46	2ण्67			

तालिका क्र.**1.0**के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमताका मध्यमान क्रमशः 17ण्20 एवं 17ण्46है। इस प्रकार दिव्यांग बालिकाओंकी समायोजन क्षमताका मध्यमान दिव्यांग बालकोकी अपेक्षा अधिक है।

तालिका से स्पष्ट है कि परिकलित टी मान .398 है जबकि ;कद्धित्र98के लिएण्05स्तर सार्थकता परीक्षण के लिए टी का सारणीमान 1.98 है है। इस प्रकार सारणीमान से परिकलित मान कम है। अर्थात् ;ण्398ढ1ण्98 द्ध।अतः सार्थक अन्तर नहीं है।

अतः कह सकते हैं कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमतामें सार्थक अन्तर नहीं होता है । इस प्रकार परिकल्पना क्रं. 01 सत्य है एवं स्वीकृत होती है।

डप.परिकल्पना क्रं. 1.1

दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है ।

तालिका क्रं.1.1

दिव्यांगबालक एव दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन का टी– मान

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी सारणीमान	परिकलित टी– मान	सार्थकता .05 स्तर
भावनात्मक समायोजन	दिव्यांग बालक	50	4ण्66	1ण्47	1ण्98	6ण्02	सार्थक
	दिव्यांग बालिकाऐं	50	6ण्52	1ण्60			

तालिका क्र.**1.1**के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिव्यांगबालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन का मध्यमान क्रमशः 4ण्66 एवं 6ण्52 है। इस प्रकार दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन का मध्यमान दिव्यांग बालकों की अपेक्षा अधिक है।

तालिका से स्पष्ट है कि परिकलित टी मान 6.02 है जबकि ;कद्धित्र98के लिएण्05स्तर सार्थकता परीक्षण के लिए टी का सारणीमान 1.98 है। इस प्रकार सारणीमान से परिकलित मान अधिक है। अर्थात् ;6ण्02झ1ण्98द्ध।अतः सार्थक अन्तर है।

अतः कह सकते है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन में सार्थक अन्तर होता है । इस प्रकार परिकल्पना क्रं. 1.1 असत्य है एवं अस्वीकृत होती है।

उप.परिकल्पना क्रं. 1.2

दिव्यांगबालक एवंदिव्यांग बालिकाओं की समाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है ।

तालिका क्रं.1.2

दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समाजिक समायोजन का टी– मान

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी सारणीमान	परिकलित टी– मान	सार्थकता .05 स्तर
सामाजिक समायोजन	दिव्यांग बालक	50	6ण्66	1ण्27	1ण्98	ण्698	सार्थक रूप से अन्तर नहीं हैं।
	दिव्यांग बालिकाऐं	50	6ण्86	1ण्57			

तालिका क्र.**1.2**के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समाजिक समायोजन का मध्यमान क्रमशः 6ण्94 एवं6ण्83है। इस प्रकार दिव्यांगबालकों की सामाजिक समायोजन का मध्यमान दिव्यांग बालिकाओं की अपेक्षा अधिक है।

अतः तालिका से स्पष्ट है कि परिकलित टी मान .698 है जबकि ;कद्धित्र98के लिएण्05स्तर सार्थकता परीक्षण के लिए टी का सारणीमान 1.98 है। इस प्रकार सारणीमान से परिकलित मान कम है। अर्थात् ;ण्698ढ1ण्98 द्ध।अतः सार्थक रूप से अन्तर नहीं हैं।

अतः कह सकते है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर नही होता है। इस प्रकार परिकल्पना क्रं. 1.2 सत्य है एवं स्वीकृत होती है।

उप.परिकल्पना क्रं. 1.3

दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की षै़क्षिक समायोजन में सार्थक अन्तर नहीं है ।

तालिका क्रं.1.3

दिव्यांगबालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की षै़क्षिक समायोजन का टी– मान

चर	समूह	संख्या	मध्यमान	प्रमाप विचलन	टी सारणीमान	परिकलित टी– मान	सार्थकता .05 स्तर
षै़क्षिक समायोजन	दिव्यांग बालक	50	5ण्88	1ण्39	1ण्98	6ण्13	सार्थक
	दिव्यांग बालिकाऐं	50	4ण्26	1ण्24			

तालिका क्र.**1.3**के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की षै़क्षिक समायोजन का मध्यमान क्रमशः 5ण्88एवं4ण्26है। इस प्रकार दिव्यांग बालकों की षै़क्षिक समायोजन का मध्यमान दिव्यांग बालिकाओं की अपेक्षा अधिक है।

तालिका से स्पष्ट है कि परिकलित टी मान 6.13 है जबकि ;कद्धित्र98के लिएण्05स्तर सार्थकता परीक्षण के लिए टी का सारणीमान 1.98है। इस प्रकार सारणीमान से परिकलित मान अधिक है। अर्थात् ;6ण्13 झ1ण्98द्ध।अतः सार्थक अन्तर है।

अतः कह सकते है कि दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की षै़क्षिक समायोजन में सार्थक अन्तर होता है । इस प्रकार परिकल्पना क्रं. 1.3 असत्य है एवं अस्वीकृत होती है।

निष्कर्ष–शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि परिकल्पना क्र.1 माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं होता है। उप परिकल्पना क्र. 1.1 माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर होता है। उप परिकल्पना क्र. 1.2 माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की सामाजिक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर नहीं होता है। उप परिकल्पना क्र. 1.3 माध्यमिक पर अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की शैक्षिक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर होता है। परिकल्पना क्रमांक 1 एवं उप परिकल्पना क्र. 1.2 के परिणाम की पुष्टि जादब दत्ता एवं जे.सी. सोनी (2014), विजय (2007) द्वारा किये गये शोध अध्ययन से भी होती है एवं उप परिकल्पना क्र. 1.1 एवं 1.3माध्यमिक पर अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं दिव्यांग बालिकाओं की भावनात्मक एवं शैक्षिक समायोजन क्षमता में सार्थक अंतर होता है, कि पुष्टि सिंह हरवंश 2006 द्वारा किये गये शोध अध्ययन से भी होती है।

शैक्षिक अनुप्रयोग– वर्तमान अध्ययन के आधार पर भविष्य में किये जाने वाले शोध कार्य एवं अध्ययनों हेतु निम्न सुझाव हो सकते हैं।

वर्तमान शोध कार्य को और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है जिससे शोध कार्य की विश्वसनीयता एवं वैद्यता बढ़ सके।

प्रस्तुत अध्ययन शासकीय एवं विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में भी किया जा सकता है।

शहरी एवं आदिवासी विद्यार्थियों को न्यादर्श को लेकर भी शोध अध्ययन किया जा सकता है।

इस प्रकार के शोध अध्ययन द्वारा विभिन्न शैक्षिक नीतियों के निर्माण में सहायता प्राप्त हो सकती है।

संदर्भग्रंथ सूची

- **Agrawal, Subhash Chandra (2002):** अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य जाति के छात्रों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन–, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, लखनऊ, वर्षः 21, अंकः 1,
- **Aminabhavi.V.L.,(1996)**:A Study of adjustment ability of physically disabled and normal students,Journal of Community Guidance and research 13.1.pp.13-16.

- **Buch, M.B.,** : NCERT New Delhi Third Survey of Research Education (1978-83).
- **Buch, M.B**., : NCERT New Delhi Fourth Survey of Research Education (1991).
- **Buch, M.B**., : NCERT New Delhi Fifth Survey of Research Education(1982-92).
- **Buch, M.B**., :NCERT New Delhi Sixth Survey of Research Education volm I &II (1993-2000).
- **Gakhar,S.C.,(2003):-**परिवार एवं छात्रावास में रहने वाली छात्राओं कि समायोजन एवं अध्ययन आदतों का अध्ययन, शिक्षा, चिन्तन, वॉल्युम 5, क्र,– 2.
- **Gupta Lilesh (2002):** "A study of Future Awareness Vocational Interest and School Students", Ph.D. Education, Kota Open University.
- **Jadab, Dutta, Chetia Pranav &Soni J.C. (2015)** Comparative Study on Intelligence of Secondary School Students in LakhimpurDistt. of Assam. International Journal of Development Research Vol. 5 PP. 5594-5599. Sept. (2015) .
- **Kannan(2005):** "Socio - psychological correlates of adjustment of std. XI students" Ph.D.Thesis, Annamalai Univ. Tamilnadu, India.
- **Mohan (2004):**"A Comparative Study of Adjustment and Personality Traits of Rural and Urban Students", Indian Journal of Educational Research, Lucknow, Vol.: 23, No.2.
- **Muchal,M.K. and Kumar Subhash(2008):**''उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों की शैक्षिक अभिप्रेरणा का उनके समायोजन तथा शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में अध्ययन''; परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनविश्वविद्यालय, नईदिल्ली, वर्षः 15, अंक :3
- **Pal, Hansraj and Nigam, Jitendra(2000):** ''सामान्य अनुसूचितजाति एवंअनुसूचितजनजाति के दृष्टिहीन विद्यार्थियों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन''; भारतीय आधुनिक शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. नईदिल्ली, वर्ष : 18, अंक:3
- **Parmanik Joymalya,Saha Birbal & Mondal Bhimchandra:-**American Journal of Education Research,2014,pp.1133-1143.
- **Pillai andKulshekhra, HarbansS.Singh (2006):** "Effect of Socio- Emotional climate of the school on the adjustment of students." Psycho lingua, 36, no.- 2,pp 133-143.
- **Pradhan,k.**c & Soni,J.C. (2011):A study of adjustment and anxiety in visually handicapped male and femalw adolescents I Odisha,Ph.D. dessertaion Rajeev Gandhi univresity Arunachal Pradesh.
- **Singh Harbans**(2**006)**: "Effect of Socio-Emotional Climate of the school on the adjustment of students." Psycholingua,36, no.-2, pp 133-143.
- **Suthar, Ratanlal&Sekhawat, G.S. (2018):** ShrinkhlaEkShodparakhVaicharikPatrika Vol.5, January 2018, PP.37-42.